

SHARAD CONVENT EDUCATION SOCIETY (Reg.d.)

478/5, SAINAGAR, MEETHAPUR EXTN., NEW DELHI - 110044 PH.: 26661885

Ref. No. ~~S-88-173~~ - 2011-182

श्री कमलनाथ जी ,

माननीय शहरी विकास मंत्री ,

भारत सरकार ,निर्माण भवन नई दिल्ली

विषय :- मास्टर प्लान 2021 में दिल्ली विकास प्राधिकरण के द्वारा हमारी कालोनी को ओ जोन से निकालकर एफ जोन में डाले जाने हेतु निवेदन पत्र।

महोदय,

आपसे विनम्र निवेदन हैं । कि हमारी कालोनी साँई नगर ,मीठापुर पार्ट -2 दिल्ली सरकार की 1639 अनाधिकृत कालोरियों की सूची में साँई नगर-273 पर सूचीबद्ध हैं । दिल्ली विकास प्राधिकरण के द्वारा तैयार व लागू किया गया मास्टर प्लान 2021 में हमारी कालोनी को जोन ओ (O-Zone) में रखा गया है । जोकि सरासर गलत हैं । जोन ओ यमुना नदी का अग्रभाग, यमुना बैड या यमुना नदी की धारा से दोनो ओर 300 मीटर के क्षेत्र में आ रहें इलाकें को ही माना गया हैं ,जो कि माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा समय समय पर पारित आदेशों के अनुरूप है।

हमारी कालोनी साँई नगर ,मीठापुर -2/न0. 273 यमुना नदी से लगभग 6 किलो मीटर की दूरी पर हैं। व हम लोग यमुना नदी के किनारे या अग्रभाग पर नहीं बैठे हैं । हमारी कालोनी के बाद कुछ और कालोनियाँ है वं उसके बाद हरियाणा के गांव बसन्तपुर , ईस्मायलपुर , अगवानपुर , सेहतपुर व हरियाणा की कुछ कालोनियाँ भी आती हैं व उसके बाद कहीं जाकर यमुना नदी बहती हैं ।

दिल्ली विकास प्राधिकरण ने हमारे क्षेत्र के बराबर में एफ जोन लागू किया हैं । अतः आपसे हमारा विनम्र निवेदन हैं । कि आप कृपया हमारी कालोनी को भी एफ जोन की श्रेणी में ही रखें । हम आपके सदैव आभारी रहेगें ।

For Sharad Convent Education Society

आपका अपना

विजय बहादुर सिंह (महा सचिव)

शरद कॉवेंट एजुकेशन सोसाइटी (रजि0)
B-478/5 साँईनगर ,मीठापुर विस्तार
,बदरपुर नई दिल्ली-44

OFFICE OF THE DIR (Pig.)
MPR/TC, D.D.A. N. DELHI-2
Dy.No. 2095
Dated. 24-4-12

प्रतिलिप:-

1. माननीय उपराज्यपाल ,दिल्ली सरकार
2. माननीय उपाध्यक्ष , दिल्ली विकास प्राधिकरण
3. माननीय निदेशक योजना एमपीआर दिल्ली विकास प्राधिकरण
4. माननीय आयुक्त, दिल्ली नगर निगम
5. माननीय मुख्य सचिव , शहरी विकास विभाग, दिल्ली सरकार
6. श्री रमेश कुमार माननीय सांसद दक्षिण दिल्ली ।
7. श्री रामसिंह नेताजी माननी विधायक , बदरपुर विधान सभा क्षेत्र।

DRM
2
IB